# बिहार विधान परिषद्

## 188 वां सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न एवं उत्तर

## वर्ग – 3

बुधवार, तिथि — 23 फाल्गुन, 1939 (श.) / 14 मार्च, 2018 ई.

**प्रश्नों की कुल संख्या – 09**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | - | - | 02 |
| 2. | नगर विकास एवं आवास विभाग | - | - | 05 |
| 3. | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | - | - | 01 |
| 4. | पर्यटन विभाग | - | - | 01 |
| | | | कुल योग – | 09 |

## भूमि का स्वामित्व नहीं

**अ**-23. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में लगभग 25 लाख दलित परिवारों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, और वे नहर, बांध, सड़क के किनारे खुले में रहने को मजबूर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देने का फैसला किया है लेकिन वास भूमि देने के बावजूद उसका स्वाभित्व उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वास भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए आसान तरीके का इस्तेमाल कर उन्हें पर्चा उपलब्ध कराने और घर बनाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

---

## निगम और एजेंसी की खींचतान

87. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के कंकड़बाग नूतन राजधानी अंचल पाटलिपुत्रा और बांकीपुर अंचल के 55 वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव ठप हो गया है, जिससे प्रभावित इलाके को स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार करने की योजना विफल साबित हो सकती है;

(ख) क्या यह सही है कि 6 अप्रैल, 2017 को शुरू हुए कचरा उठाव का काम निगम और कचरा उठाव एजेंसी की खींचतान के बीच फंस गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन कारणों से कचरा उठाव कार्य बंद हो गया है और निगम/एजेंसी द्वारा कबतक डोर-टू-डोर कचरा उठाव कार्य पुन: संचालन करवाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

---

**अ**-दिनांक 05 मार्च, 2018 से स्थगित।

## दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

88. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल में दो जलमीनार, एक वार्ड नं.-4, सुंदरपुर में और दूसरा अनुमंडल कार्यालय से सटे पूरब साइड में रोड की बगल में बनकर तैयार है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों जलमीनारों को बने लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं, परंतु आज तक उन्हें चालू नहीं किया गया है, उक्त जल मीनारों पर 8 करोड़ 92 लाख 92 हजार रुपये खर्च किये गये हैं जो प्रति जलमीनार डेढ़-डेढ़ लाख गैलन पानी की क्षमता का है, जिससे रक्सौल शहर वासियों की 70-80 हजार आबादी को तीन लाख गैलन पानी मुहैया कराने का लक्ष्य है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त स्थान पर दोनों जलमीनारों के 12 वर्षों से बनकर तैयार होने के बावजूद रक्सौल शहरवासियों को पानी से वंचित रखने के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई की गयी है?

---

## फूड कैलेंडर योजना

89. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फूड कैलेंडर का कोई भी असर राज्य में नहीं दिख रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अफसरों से लेकर जन वितरण प्रणाली से जुड़े लोगों में कोई प्रतिबद्धता नजर नहीं आ रही है, जिससे इसका लाभ राज्य के गरीबों को नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कड़ाई से फूड कैलेंडर योजना का अनुपालन कराकर राज्य की गरीब जनता को इसका लाभ पहुंचाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

## अतिक्रमण से मुक्ति

90. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दानापुर स्थित बलदेव उच्च विद्यालय एवं राजकीय मॉडर्न आदर्श मध्य विद्यालय के मुख्य गेट के आसपास स्थायी रूप से दुकान लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय के आसपास की जगह को अतिक्रमित कर लिए जाने के कारण छात्र-छात्राओं को विद्यालय जाने-आने में काफी असुविधा हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण को मुक्त कराने में स्थानीय प्रशासन भी मूकदर्शक बना रहता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो छात्र-छात्राओं के हित में क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालय के आसपास के क्षेत्र को स्थायी तौर पर अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है?

---

**राजस्व कचहरी भवन**

91. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर अंचल के मोहिउद्दीन नगर बाजार पश्चिम कपिलदेव चौक के पास एक बड़ा पक्का राजस्व कचहरी भवन है;

(ख) क्या यह सही है कि मोहिउद्दीन नगर राजस्व कचहरी के जर्जर भवन की मरम्मत या नया निर्माण आवश्यक है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' के राजस्व कचहरी भवन की मरम्मत या नया निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

**पर्यटन स्थल का विकास**

92. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज और इसके आसपास पाण्डवों के अज्ञातवास स्थल सहित महाभारतकालीन कई धरोहर बिखरे पड़े हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जिला के उक्त स्थानों में परेसरी पंचायत अंतर्गत दूधमंजर में एक खीर-समुद्र स्थल है जिसे भगवान कृष्ण के प्रिय व गुरू द्रोणाचार्य के परमप्रिय शिष्य अर्जुन ने अपने बाण से बनाया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला के उक्त स्थलों को ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता के आधार पर पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित एवं संवर्धित करने पर विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

**उत्तर**: (क) एवं (ख) जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 318, दिनांक 28.02.2018 के अनुसार स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ऐसे अवशेष उपलब्ध हैं तथा पटेसरी पंचायत में एक पतली नदी को अर्जुन के बाण द्वारा निर्मित क्षीर समुन्द्र के रूप में जाना जाता है।

(ग) इन स्थलों को विभागीय निर्माणधीन रोडमैप में सम्मिलित कर लिया गया है। तत्काल पर्यटन विभाग में इस स्थलों के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

---

**सौंदर्यीकरण योजना**

93. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय रेलवे स्टेशन के निकट सन् 1942 में शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में शहीद-द्वार का निर्माण कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त शहीद-द्वार के सौंदर्यीकरण की योजना वर्षों से लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार लखीसराय स्थित शहीद-द्वार के सौंदर्यीकरण की योजना कबतक पूरा करना चाहती है?

---

**सिटिजन चार्टर**

94. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नगर निकायों को पारदर्शी व आम जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नागरिक अधिकार पत्र (सिटिजन चार्टर) तैयार किया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अधिकार पत्र में निकायों को निर्धारित समय के अन्दर आम जनता को शहरी सुविधाएं दिलाने की जिम्मेदारी दी गयी थी, लेकिन विभाग के लापरवाह अधिकारी इसे फाइल में ही रख कर भूल गये हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सिटिजन चार्टर लागू नहीं होने की वजह से लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, गंदे नाली की सफाई, ट्रेड लाइसेंस व ठोस कचरा प्रबंधन जैसी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए कई-कई दिनों तक निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कर, नागरिक अधिकार पत्र (सिटिजन चार्टर) लागू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

**सुनील कुमार पंवार**
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 14 मार्च, 2018